प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2024**

विषयः- अनुदान संख्या-10 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि रू0-80231.79 लाख के सापेक्ष रू0-8991.76 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-03/बजट/2024-25, दिनांक 01.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत चालू योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि रू0-80231.79 लाख वर्णित लेखाशीर्ष/मानकमद में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल धनराशि के सापेक्ष रू0-8991.76 लाख (रूपया नवासी करोड़ इक्यानबे लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नालिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहॉ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

2. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कंरण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

6. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क़रण विभाग तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190408 (राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190408 राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
2	010	2401001190408 राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	29 अनुरक्षण	95,00,000 (रुपये पंचानबे लाख मात्र)
	कुल			**1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001190409 (खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	01 वेतन	20,68,75,000 (रुपये बीस करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	02 मजदूरी	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
3	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	03 मंहगाई भत्ता	11,37,81,000 (रुपये ग्यारह करोड़ सैंतीस लाख इक्यासी हजार मात्र)
4	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	04 यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

6	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	06 अन्य भत्ते	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
7	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	08 कार्यालय व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
8	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	09 विद्युत देय	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
9	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	10 जलकर / जल प्रभार	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
10	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
12	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
13	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
14	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	38,00,000 (रुपये अड़तीस लाख मात्र)
15	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	18 प्रकाशन	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
16	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
17	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	42 अन्य व्यय => (भारित)	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

.....4/-

18	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	42 अन्य व्यय	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)
19	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
20	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
21	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,40,000 (रुपये एक लाख चालीस हजार मात्र)
22	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
23	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
24	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	49 चिकित्सा व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
25	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	55 मकान किराया भत्ता	1,30,00,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र)
26	010	2401001190409 खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
	कुल			**35,77,16,000** **(रुपये पैंतीस करोड़ सतहत्तर लाख सोलह हजार मात्र)**

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2401001190412 (फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190412 फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001190418 (उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2017)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2017	27 सब्सिडी	50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)
2	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2017	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
	कुल			**50,04,00,000 (रुपये पचास करोड़ चार लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2415800040700 (राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	01 वेतन	1,22,00,000 (रुपये एक करोड़ बाईस लाख मात्र)
2	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	02 मजदूरी	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
3	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	03 मंहगाई भत्ता	67,10,000 (रुपये सड़सठ लाख दस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

4	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	04 यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	90,000 (रुपये नब्बे हजार मात्र)
6	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
7	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
8	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	09 विद्युत देय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
9	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	10 जलकर / जल प्रभार	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
10	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
11	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
12	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	13 टेलीफोन पर व्यय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
13	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
15	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)

.....7/-

http://shasanadesh.up.gov.in

16	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	18 प्रकाशन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
17	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	29 अनुरक्षण	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
18	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	42 अन्य व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
19	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
20	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
21	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
22	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
23	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
24	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
25	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	55 मकान किराया भत्ता	10,50,000 (रुपये दस लाख पचास हजार मात्र)
26	010	2415800040700 राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल		**2,99,60,000** **(रुपये दो करोड़ निन्यानबे लाख साठ हजार मात्र)**	

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 4415808000401 (खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	4415808000401 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)**
महायोग				89,91,76,000 (रुपये नवासी करोड़ इक्यानबे लाख छिहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त 1-अनुभाग (व्ययक-आय)के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2024-दस/294-1-बी/2024/1-2024/231, दिनाँकमार्च-04 -, में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत 2024 निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-160/2024/374(1)/58-2-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कखरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in